संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश शासन,
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल मध्यप्रदेश,
भारत गणराज्य। पिन-462 016
टेलीफोनः +91 755 2575491 फैक्सः +91 755 2575696
ई-मेलः commissioner@mpurban.gov.in
वेबसाइटः www.mpurban.gov.in

Directorate of Urban Administration & Development,
Government of Madhya Pradesh,
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh,
Republic of India - 462016
Phone : +91 755 2575491 Fax : +91 755 2575696,
Email : commissioner@mpurban.gov.in
Website : www.mpmpurban.gov.in

::–आदेश–:

भोपाल दिनांक 23/11/2021

19810

क्रमांक/स्था–1/वेतनवृद्धि/281/2021 राज्य शासन द्वारा श्री सत्येन्द्र शालवार को मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद जामई (जुन्नारदेव) जिला छिंदवाडा म0प्र0 में पदस्थ किया गया है। सी0एम0हेल्पलाईन अंतर्गत दिनांक 20.07.2021, दिनांक 20.09.2021 एवं दिनांक 20.10.2021 को जारी नगरीय निकायों की ग्रेडिंग में "डी" ग्रेड प्राप्त किये जाने एवं बार–बार शिकायतों का निराकरण समय–सीमा में तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टता के साथ कराये जाने के संबंध में अवगत कराये जाने के पश्चात् भी श्री शालवार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिससे नगरपालिका परिषद जामई (जुन्नारदेव) को पुनः "डी" ग्रेड प्राप्त हुआ। इस कारण विभाग की भी ग्रेडिंग प्रभावित हुई है। उक्त संबंध में विभाग की छवि धूमिल होने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के कारण, श्री सत्येन्द्र शालवार को कारण बताओ सूचना पत्र कमांक सीएमएच/2021/16362 दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी कर प्रत्युत्तर दिनांक 05.10.2021 के पूर्व चाहा गया था।

श्री सत्येन्द्र शालवार मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद जामई (जुन्नारदेव)जिला छिंदवाडा म0प्र0 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का कोई प्रत्युत्तर समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन,राज्य शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यो में से एक है। जिसकी समीक्षा शासनस्तर पर की जाती है। आपकी नगरपालिका लगातार 3 बार डी ग्रेड में आई तथा आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद भी आपके द्वारा शिकायत के निराकरण में कोई रूचि नही ली गई,जिससे स्पष्ट है कि शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यो तथा आम जनता की समस्याओं के समुचित निराकरण में आपके द्वारा कोई रूचि नहीं ली जाती है,आपकी कार्य प्रणाली में कोई सुधार भी परिलक्षित नही होता है। श्री शालवार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिससे नगरपालिका परिषद जामई (जुन्नारदेव) जिला छिंदवाडा म0प्र0 को पुनः "डी"ग्रेड प्राप्त हुआ।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में श्री सत्येन्द्र शालवार मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद जामई (जुन्नारदेव) जिला छिंदवाडा म0प्र0 के विरूद्ध म.प्र.नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 31 (दो) के तहत कार्यवाही करते हुए एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र

पृष्ठा. क्रमांक/स्था–1/वेतनवृद्धि/281/2021 19811
भोपाल दिनांक 23/11/2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।

2– कलेक्टर जिला छिंदवाडा म.प्र.।

3— संभागीय संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग जबलपुर म.प्र.की ओर प्रेषित। कृपया अधिरोपित शास्ति की प्रविष्टि संबंधित की सेवापुस्तिका में कर सत्यापित प्रति एक सप्ताह की समय—सीमा में प्रेषित करें।

4— प्रशासक, नगरपालिका परिषद जामई (जुन्नारदेव) जिला छिंदवाडा म0प्र0।

5— श्री सत्येन्द्र शालवार मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद जामई (जुन्नारदेव) जिला छिंदवाडा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र